प्रकरण संख्या 41/2022 श्रीमती सोहनीबाई बनाम प्यारचन्द्र अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पालीदाणा, तहसील गोगुन्दा में वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1605 रकबा 0.1650 हैक्टर भूमि स्थित है, जिससे प्रतिवादीगण को कोई सरोकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादीगण वादिया पर दबाव डालकर जबरन जमीन हड़पना चाहते हैं तथा वादिया के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है। अतः वादी का वाद स्वीकार प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25.05.2022 से वादीया का वाद क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06.06.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल मेघवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट के जवाब के आधार पर बिना उस पर तनकी कायम किये एवं बिना साक्ष्य लिये विवादित आराजियात को आबादी भूमि मानकर क्षेत्राधिकार के आधार पर अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जो विधिक प्रक्रिया कि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] तथा वादिया/ अपीलान्ट द्वारा चाही गयी दाद [illegible] जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील खारिज	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:18 IST
Reason: SelfAttested

करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया है तथा उसी दिनांक को यह अंकित करते हुए वादिया का वाद खारिज कर दिया कि ''प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात पर निर्माण कार्य नहीं कर के वे अपनी स्वयं की आबादी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं।'' उक्त आधारों पर अपीलान्ट/वादीया का वाद क्षेत्राधिकारी में होना नहीं मानकर खारिज कर दिया, जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:56:18 IST
Reason: SelfAttested